न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00032

1. रणवीर सिंह आयु 44 वर्ष आत्मज श्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हरिगढ।
2. तेजसिंह आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हरिगढ ।
3. बेबी आयु 50 वर्ष पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी हरिगढ ।
4. छुट्टन आयु 48 वर्ष पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवीस हरिगढ ।
5. मंजू कंवर आयु 46 वर्ष पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह पत्नी श्री दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी हरिगढ तहसील खानपुर जिला झालावाड ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीनाथ सिंह हाडा आयु 75 वर्ष आत्मज श्री जयनाथ सिंह जाति राजपूत ।
2. जयदीप सिंह आयु 36 वर्ष आत्मज श्री नाथ सिंह जाति राजपूत निवीसगण मकान नं0 05 बहादुर सिंह सर्किल पुलिस लाईन रोड, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2020/00033

1. रणवीर सिंह आयु 44 वर्ष आत्मज श्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हरिगढ।
2. तेजसिंह आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हरिगढ ।
3. बेबी आयु 50 वर्ष पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी हरिगढ ।
4. छुट्टन आयु 48 वर्ष पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवीस हरिगढ ।
5. मंजू कंवर आयु 46 वर्ष पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह पत्नी श्री दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी हरिगढ तहसील खानपुर जिला झालावाड ।

———अपीलान्ट

बनाम

जयदीप सिंह आयु 36 वर्ष आत्मज श्री नाथ सिंह जाति राजपूत निवासीगण मकान नं0 05 बहादुर सिंह सर्किल पुलिस लाईन रोड, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश चन्द नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 19.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में सलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट रणवीर ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 44/2019 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम रिसन्दा तहसील हिण्डोली में कुल 07 किता की रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली में कुल 09 किता की रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रीमतकंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह राजपूत के खाते में दर्ज है । श्रीमती प्रीतम कंवर का दिनांक 19.09.2018 को देहान्त हो चुका है उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त भूमि के विधिक स्वामी व वारिस हैं । प्रीतम कंवर के पिता श्री जयनाथ सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने खाते की भूमि में से उक्त भूमियॉ प्रीतमकंवर को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश दान में दी थी । श्रीमती प्रीतम कंवर का विवाह ग्राम हरिगढ तहसील खानपुर में हुआ था जो वादग्रस्त आराजी के काफी दूरी पर था इस कारण वे वादग्रस्त आराजी को अपने भाई से काश्त करवाती थीं । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के विधिक स्वामी है । अप्रार्थीगण उक्त भूमियों पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

5. इसी प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट जयदीप सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 101/2018 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पेश कर वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा बताते हुए कथन किया कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी रहन, बेचान एवं प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करावें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.01.2020 के द्वारा प्रार्थी रणवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 44/2019 खारिज कर दिया । इसी प्रकार अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट जयदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 101/2018 को अपने निर्णय दिनांक 03.01.2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2018 को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2020 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट रणवीर सिंह ने न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं वादग्रस्त आराजी पर ताफैसला वाद तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त करने का कथन किया । साथ ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज करने की प्रार्थना की ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम रिसन्दा एवं ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली में वादग्रस्त आराजी स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की है । आराजी पूर्व में प्रार्थी के दादा जयनाथ की थी । बख्शीशनामा अप्रार्थी की माता प्रीतमकंवर के नाम तस्दीक कर उनको खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये । कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा है । अप्रार्थी की माता ने दिनांक 16.06.2003 को उनको आराजी दान कर दी है परन्तु इंतकाल नहीं खुलवाया है । अप्रार्थीगण फौती इंतकाल अपने पक्ष में तस्दीक करवाने पर आमादा हैं । अतः उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आराजीयात प्रीतमकंवर के आधिपत्य की है जो कि अप्रार्थीगण की माता है । प्रीतम कंवर ने आराजी आधौली पर अपने भाई श्रीनाथ सिंह को काश्त पर दी थी । श्रीनाथ सिंह उपज का आधा हिस्सा कभी नगद व कभी फसल के रूप में श्रीमती प्रीतम कंवर को अदा करते थे । प्रीमत कंवर ने आराजी दान नहीं की थी । दानपत्र फर्जी है एवं अपंजीकृत है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अपीलान्टगण ने रिसीवर का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिसीवर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की अनुमति से काबिज थे और अनुमति

रद्द हो जाने से अतिक्रमी की हैसियत रखते है, जिनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रेस्पोडेन्ट जिस दानपत्र का कथन करते हैं वो फर्जी है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । इस अवैध दस्तावेज को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इन दानपत्र को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है । खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलान्टगण के पक्ष में है । यदि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में सन् 2003 का दानपत्र था तो उन्होंने वादग्रस्त आराजी को अपने खाते क्यों दर्ज नहीं करवाया । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किये हैं फिर भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर खारिज किया है और रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 निरस्त फरमाया जावे । विकल्प में नगद प्रतिभूति का आदेश जारी किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1997 (एससी) पेज 127, डीएनजे 2017 (3) (एससी) पेज 676, आरआरडी 2019 (1) पेज 332, आरआरडी 2018 पेज 276, आरआरडी 2017 पेज 286, आरआरडी 2017 पेज 294, आरआरडी 2014 पेज 493, आरआरडी 2011 पेज 508, आरएलडब्लयू 1996 (2) पेज 650, आरएलडब्ल्यू 2019 (3) 2343, आरआरडी 1994 पेज 333, आरआरडी 1995 पेज 76, आरआरडी 1992 पेज 427, आरआरडी 1973 पेज 614, आरआरडी 2012 पेज 42, आरआरडी 2013 पेज 483, आरआरडी 1975 पेज 565, आरआरडी 2012 पेज 242, आरआरडी 1986 पेज 522, आरआरडी 1998 पेज 470, आरआरडी 2008 पेज 212, आरआरडी 1992 पेज 565, आरआरडी 1993 पेज 98, आरआरडी 1976 पेज 18, आरआरडी 2002 पेज 627 उद्धरत की।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के दादा के खाते की थी और उनके द्वारा सीलिंग की कार्यवाही के दौरान अपनी पुत्री प्रीतमकंवर के नाम दानपत्र निष्पादित किया था परन्तु आराजी का भौतिक रूप से कब्जा प्रीमत कंवर को नहीं सौंपा गया । आराजी रेस्पोडेन्टगण के कब्जे में रही और वो ही इसको काश्त करते रहे हैं । सन् 2003 में प्रीतम कंवर ने एक दानपत्र भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित किया है । यद्यपि यह दानपत्र पंजीकृत नहीं है परन्तु इसको पूर्ण मुद्रांकित करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस कारण से यह साक्ष्य में ग्राह्य है । प्रीतम कंवर का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । प्रीतम कंवर ने कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया वरन् उनके द्वारा दानपत्र का निष्पादन किया गया है । उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । वादग्रसत आराजी के बाबत् अपीलान्ट ने रिसीवर नियुक्त करने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो विधि सम्मत रूप से खारिज किया है क्यों वादग्रस्त आराजी विधिक रूप से रेस्पोडेन्टगण के कब्जे में है । आराजी इनमिडियो नहीं है काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे (राज0) 2020 (1) पेज 55, डीएनजे 2019 (1) (राज0) पेज 377, आरआरटी 2017 (2) पेज 1277, डीएनजे 2019 (2) पेज 493, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 1018 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्जावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

12. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में जयदीप सिंह के द्वारा हक घोषणा के लिए पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति और दानपत्र को प्रोपर स्टाम्प करवाने के लिए पेश प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, अपीलान्टगण के द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश दावे की फोटो प्रति, जयदीप सिंह के दावे में पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की फोटो प्रति और आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के लिए अपील आदेश दिनांक 10.10.2019 की फोटो प्रति पेश की हैं । पेश किये गये दस्तावेजात न्यायालय में पेश किये गये दावे एवं प्रार्थना पत्रों की प्रतियॉ हैं और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट जयदीप सिंह के द्वारा इस कथन के साथ पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके दादा की है जिस पर कब्जा प्रार्थी और उनके पिता श्रीनाथ जी का चला आ रहा है । उनके पक्ष में प्रीमत कंवर ने एक दानपत्र भी निष्पादित किया है । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । इस प्रार्थना पत्र के जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की है और उनके द्वारा एक पृथक से रिसीवर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक दानपत्र की फोटो प्रति संलग्न है जो कि अपंजीकृत है। यह दानपत्र प्रीतमकंवर द्वारा जयदीप सिंह के पक्ष में सन् 2003 में निष्पादित किया गया है। एक गोदपत्र भी पत्रावली पर संलग्न है जो कि श्रीनाथ सिंह और उनकी पत्नी के द्वारा जयदीप सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया है । इसके अलावा फौटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2013–16, पंजीकृत दानपत्र जयनाथ सिंह द्वारा प्रीतमकंवर के पक्ष में निष्पादित किया गया है, की फोटो प्रति भी संलग्न हैं ।

15. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रीतम कंवर के खाते की है । प्रीतम कंवर के वारिसों द्वारा एक दावा बेदखली के लिए धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ सन् 2019 में पेश किया गया है जिससे यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के कब्जे में है और काबिज व्यक्ति को बेदखल करने रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के द्वारा पेश किये गये रिसीवर नियुक्त करने के

प्रार्थनापत्र को विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसीप्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक अपीलान्टगण की माता हैं और उनको यह आराजी जरिये पंजीकृत दानपत्र उनके पिता के द्वारा दी गई थी । रेस्पोडेन्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है और अपीलान्टगण की माता ने अपने पक्ष में में सन् 2003 में एक दानपत्र निष्पादित किया था । यह दानपत्र पंजीकृत नहीं है । यद्यपि रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसमें इनको प्रोपर स्टाम्प करने के लिए कलक्टर स्टाम्प को भेजने की प्रार्थना की गई है परन्तु यह दानपत्र अपंजीकृत है और अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में तय नहीं पाया जाता है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक अपीलान्टगण की माता हैं और अपंजीकृत दानपत्र के आधार रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अपीलान्ट के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने इस अपंजीकृत दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीरें आरएलडब्ल्यू 1996 (2) पेज 650, डीएनजे 2017 (एससी) पेज 675, आरआरडी 2017 पेज 286, आरएलडब्ल्यू 2019 (3) पेज 2343 यहाँ चस्पा होती हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00033 स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है । अपील संख्या 2020/00032 बाबत् रिसीवर नियुक्त करने खारिज की जाती है ।

18. निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा